## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 62 / 2017**

**RCMS No. 2017/00275**

| **प्रार्थी:–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण:–** |
|---|---|---|
| 1 सुखाराम पुत्र पदमाजी जाति घांची निवासी पेरवा तहसील बाली | | 1. रेखा कुमारी पत्नी छोगाराम जाति घांची निवासी पेरवा तहसील बाली<br>2. ग्राम पंचायत पेरवा जरिये सरपंच |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थिति –**

श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 23/10/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, पेरवा द्वारा मिसल संख्या 72 / 2013–2014 संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.12.2016 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने जैर निगरानी विवादित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थी के चार जायन्दा पुत्र है, जिनमें से छोगाराम को प्रार्थी ने अपने बडे भाई देवाराम को गोद दिया है, जो गोदनामा रजिस्टर्ड हैं। छोगाराम देवाराम का गोदीपुत्र होने के नाते देवाराम की समस्त चल अचल सम्पति का मालिक हो चुका है। इस कारण प्रार्थी की सम्पति में छोगाराम एवं उसकी पत्नी का कोई हक हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके पति छोगाराम ने प्रार्थी के अनपढ होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करके प्रार्थी के मकान का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से प्राप्त कर लिया, जो पूर्णतया अवैद्य है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है। विधिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.05.2013 को आवेदन पेश ही नहीं किया एवं न ही ऐसा कोई आवेदन मिसल में मौजूद है एवं इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क एवं मौका निरीक्षण शुल्क भी जमा नहीं करवाया। सम्पूर्ण मिसल एक ही दिन में तैयार की गई है। मौका निरीक्षण हेतु पंचो को कोरम द्वारा मनोनीत नहीं किया एवं न ही पंचो की कोई रिपोर्ट मिसल के संलग्न है। न तो विधि अनुसार आपत्ति पत्र जारी हुआ एवं न ही उसे सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा किया गया। गवाह ने जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्षो पुराना कब्जा बताया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का छोगाराम के साथ विवाह ही वर्ष 2009 में हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजी पर उनका 50 वर्ष पुराना कब्जा प्रमाणित ही नहीं होता है। समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गई है, जो

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध एवं विधि के प्रावधानों के विपरित है। जैर निगरानी विवादित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर प्रार्थी निवास करता है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका निरीक्षण किए एवं बिना कोई जांच किए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा है तथा भूमि पर 50 वर्ष पुराना मकान निर्मित है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पति के हिस्से में आने से अप्रार्थी संख्या 1 के पति की सहमति से अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आवेदन दर्ज कर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गए एवं उनके पश्चात तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए। पंचो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होनें पर दो गवाहों के बयान दर्ज किये जाकर निर्धारित शुल्क अदा करने पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वयं द्वारा दिनांक 21.10.2013 को अपासी पारिवारिक बंटवाडा लिखत स्वयं द्वारा एवं तीन पुत्र क्रमशः मोहनलाल, हीरालाल व छोगाराम द्वारा लिखवाया जाकर नोटेरी से अटेस्टेड करवाया है, जो स्वीकृत दस्तावेज है, जिसके द्वारा पद संख्या 1 में वर्णित अनुरूप जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पडौस बीच का मकान अप्रार्थी के पति छोगाराम के हिस्से में रखा है और उपरोक्त लिखत अनुसार 25000/– रूपये अप्रार्थी के पति द्वारा मोहनलाल को दिया जाना था, जो अप्रार्थी संख्या 1 के पति द्वारा अदा किए गए है। जब स्वयं प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मकान को अपासी पारिवारिक बंटवाडा लिखत अनुरूप अप्रार्थी के पति के हिस्से में विभाजन में दिया है, ऐसी स्थिति में इससे विपरित कथन करने से और उपरोक्त लिखत के विपरित कृत्य कर निगरानी पेश करने से प्रार्थी एस्टोपल के सिद्धान्त से विबंधित है, इस आधार पर भी निगरानी खारिज़ योग्य है। जहां तक नियमों की आधी अधूरी पालना किऐ जाने का पश्चत है, इस सम्बन्ध में नियमों में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। जैर निगरानी विवादित आराजी पर पुराना कच्चा मकान निर्मित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिवार के साथ निवास करती है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर निगरानी मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 10.05.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण मिसल दर्ज की गई, जो मिसल दिनांक 21.08.2016 को ग्राम पंचायत की बैठक में पेश होने पर सचिव को नक्शा मौका तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पेदन सचिव ने नक्शा मौका तैयार कर प्रस्तुत किया एवं तीन पंचो ने मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त नक्शा मौका एवं मौका

अति० जिला कलेक्टर, पाली

रिपोर्ट पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत होने पर कोरम की बैठक दिनांक 20.09.2016 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का अन्तिम विनिश्चिय किया जाकर 30 दिवस का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, वह स्वयं प्रार्थी की उपस्थिति में मौके पर चस्पा किया गया है, जिसकी ताईद इस तथ्य से होती है कि उक्त नोटिस की पुस्त पर प्रार्थी के अंगुष्ठ निशान है। इसके पश्चात निर्धारित समवयावधि में किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए। जिनमें से एक गवाह स्वयं प्रार्थी था। जिसने अपने बयानो में जाहिर किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर 50 वर्ष पुराना मकान निर्मित है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा कोरम की सम्मति से जैर निगरानी आज्ञा पारित की, जिसमें पालना में राशि जमा करवाने पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, पेरवा द्वारा मिसल संख्या 72/2013–2014 संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.12.2016 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 51 दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली